

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला-जोधपुर

व इजलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

श्रीकांत पं. श्रीकांत

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 130 / 2024

--आदेश-- दिनांक :- 3/4/25

प्रार्थी श्रीकांत पुत्र श्री श्रीकांत

जाति शारदिआ निवासी किलाड़ा पंचक I II तहसील बिलाड़ा,

जिला जोधपुर, राज. में एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रिकॉर्ड में नाम

दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाड़ा

को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें

तहसीलदार बिलाड़ा ने अवगत करवाया है कि ग्राम किलाड़ा पंचक I II की

जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 के खाता सं. 679 में दर्ज अशुद्ध

नाम श्रीकांत पुत्र श्रीकांत जाति शारदिआ शरन

निवासी किलाड़ा पंचक I II का शुद्ध नाम श्रीकांत

पुत्र श्रीकांत जाति शरन निवासी किलाड़ा पंचक I II

में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का

अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का

स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

2024
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा